

न्यायालय सहायक कलेक्टर (एस.डी.ओ.) बालोतरा
पीठासीन अधिकारी : श्री नरेश सोनी, आर.ए.एस
प्रशासन गांवों के संग अभियान -2021 केम्प :- भाखरी खेडा

दिनांक:- 17.12-21

क्रमांक /रीडर/ 2021/

01

मुकदमा नंबर 04/21

प्रार्थी	नाम	विप्रार्थीगण
1. मापोदेवी पत्नी वागाराम कौम भोगवाल उम्र 38 वर्ष निवासी टापरा, तहसील पचपदरा जिला बाडमेर		1. मानाराम पुत्र लालारामजी 2. हरीराम पुत्र लालाराम 3. चूनाराम पुत्र लालाराम 4. ईशराराम पुत्र लालाराम 5. जुगताराम पुत्र हीराराम जाति जाट निवासीयान भाखरी खेडा 6. वागाराम पुत्र पांचाराम जाति भील निवासी टापरा 7. राजस्थान सरकार भूमिधारक जरीये तहसीलदार पचपदरा।

आदेश

दिनांक :- 17.12-21

पत्रावली प्रशासन गांवों के संग केम्प कोर्ट भाखरी खेडा में पेश हुई। उपर्युक्त, प्रकरण मौजा भाखरी खेडा तहसील पचपदरा में मूल खसरा नंबर 90/8 रकबा 15 बीघा सरहद विवादित भूमि के चारों तरफ पक्के नेखम स्थापित करते हुए नेखमबन्दी करने हेतु तहसीलदार पचपदरा को मौका कमीशनर नियुक्त किया जाता है। उक्त नेखमबन्दी कार्रवाई करने से पूर्व प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण को नोटिस/ पत्र के जरिये सूचित हुए एक तिथि निश्चित (वर्षाकाल में खड़ी फसल पर सीमांकन व पत्थगद्दी नहीं करने से बाबत राजस्व विभाग द्वारा जारी निर्देश दिनोंक 07.09.1992 के मद्देनजर) कर पक्षकारानकी उपस्थिति में नेखमबन्दी की जावे कमीशनर शुल्क रूपर्य 1500/- अक्षरे एक हजार पांच सौ रूपर्य मात्र निर्धारित की जाती हैं, जो प्रार्थीगण द्वारा मौके पर अदा किया जायेगा। पुलिस इमदाद की यदि आवश्यकता हो तो सम्बन्धित पुलिस थाना से प्राप्त करें।


(नरेश सोनी)
उपखण्ड अधिकारी,
बालोतरा

क्रमांक /रीडर/ 2021/

02

दिनांक :- 17.12-21

1. तहसीलदार पचपदरा पालना प्रस्तुत करते वक्त पत्र पर निर्णय की तिथि अवश्य अंकित करें।


उपखण्ड अधिकारी,
बालोतरा

